राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

एस.बी. आपराधिक विविध (पे.) संख्या 3923/2024

हंसराज पुत्र अमराराम, उम्र लगभग 36 वर्ष, निवासी दडीबा, बस स्टैंड के पास, वार्ड नं. 15, बीदसर, जिला चूरू।

----अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य, पी.पी. के माध्यम से
2. फर्म कडेल फाइनेंस कंपनी, बीदासर, मालिक शंकरलाल सोनी, निवासी चरोदी रोड, बीदसर, जिला चूरू के माध्यम से

----प्रतिवादीगण

अपीलार्थी(गण) के लिए : श्री पंकज कुमार गुप्ता

प्रतिवादी(गण) के लिए : श्री मुख्तयार खान, पीपी

माननीय श्री न्यायमूर्ति अरुण मोंगा

<u>आदेश (मौखिक)</u>

<u>02/07/2024</u>

1. विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, सुजानगढ़, जिला चूरू द्वारा पारित दिनांक 05.04.2024 के पुनरीक्षण न्यायालय के आदेश से व्यथित, जिसमें आपराधिक शिकायत मामला संख्या 88/2021 में विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट, बीदासर, जिला चूरू द्वारा पारित दिनांक 20.12.2023 के आदेश को बरकरार रखा गया, जिसके तहत याचिकाकर्ता द्वारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 45 के साथ धारा 293 सीआरपीसी के तहत हस्तलेखन विशेषज्ञ की राय मांगने के लिए प्रस्तुत आवेदन को खारिज कर दिया गया था।

2. प्रतिवादी संख्या 2/शिकायतकर्ता ने याचिकाकर्ता के खिलाफ एनआई अधिनियम की धारा 138 के तहत चेक के अनादर के लिए एक आपराधिक शिकायत दर्ज की है जिसमें कहा गया है कि चेक याचिकाकर्ता द्वारा ऋण देयता के निर्वहन में जारी किया गया था।

3. याचिकाकर्ता ने चेक पर हस्ताक्षर और राशि प्रविष्टि/हस्तलेखन पर विशेषज्ञ की राय लेने के लिए एक आवेदन प्रस्तुत किया। याचिकाकर्ता ने कहा कि उसने न तो प्रतिवादी फर्म से ऋण लिया और न ही प्रतिवादी फर्म से ऋण प्राप्त करने में किसी की मदद की और न ही शिकायतकर्ता फर्म को कोई चेक जारी किया। याचिकाकर्ता ने कहा कि प्रतिवादी फर्म ने श्याम सुंदर नामक व्यक्ति के साथ मिलकर चेक की जालसाजी की।

3.1 याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत किया गया कि उसने कभी भी प्रतिवादी फर्म को किसी ऋण के बदले में चेक नहीं दिया, इसलिए मामले की सत्यता की जांच करने के लिए, संबंधित चेक को फोरेंसिक रिपोर्ट के लिए भेजा जाना आवश्यक था। वह आवश्यक होने पर सभी खर्च वहन करने के लिए तैयार है।

3.2 हालांकि, विद्वान ट्रायल कोर्ट ने याचिकाकर्ता के आवेदन को खारिज कर दिया, जिसके कारण यह याचिका दायर की गई।

4. सुनवाई की गयी।

5. आम तौर पर, एक बार जब चेक जारी कर दिया जाता है और उसके हस्ताक्षर स्वीकार कर लिए जाते हैं, तो कानूनी अनुमान लगाया जाता है कि यह कानूनी रूप से लागू करने योग्य ऋण के निर्वहन में दिया गया था। यह अनुमान, खंडनीय होते हुए भी, आम तौर पर चेक धारक के पक्ष में मजबूत होता है। हालाँकि, इस मामले में, याचिकाकर्ता ऋण और चेक जारी करने दोनों से इनकार करता है, और आगे दावा करता है कि हस्ताक्षर उसके नहीं हैं और जाली हैं। इन दावों को साबित करने का भार याचिकाकर्ता (आरोपी) पर है। इसलिए, याचिका का निपटारा इस निर्देश के साथ किया जाता है कि ट्रायल कोर्ट याचिकाकर्ता को अपने खर्च पर, हस्तलेखन विशेषज्ञ द्वारा चेक की जांच करने का एक प्रभावी अवसर प्रदान करेगा।

6. इस प्रकार याचिकाकर्ता को साक्ष्य के रूप में विशेषज्ञ की राय पेश करने और बचाव पक्ष के गवाह के रूप में विशेषज्ञ की जांच करने की अनुमति होगी, साथ ही शिकायतकर्ता को कानून के अनुसार राय को स्वीकार करने या चुनौती देने का अधिकार होगा। इसके बाद मुकदमा कानून के अनुसार आगे बढ़ेगा। याचिकाकर्ता द्वारा विद्वान ट्रायल कोर्ट के समक्ष दायर भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 45 के साथ धारा 293 सीआरपीसी के तहत आवेदन को उपरोक्त शर्तों के तहत अनुमति दी जाती है। परिणामस्वरूप, विद्वान ट्रायल और पुनरीक्षण न्यायालय द्वारा पारित किए गए आक्षेपित आदेश रद्द किए जाते हैं।

7. याचिका का तदनुसार निपटारा किया जाता है। लंबित आवेदन, यदि कोई हो, का भी निपटारा किया जाता है।

(अरुण मोंगा),जे

यह अनुवाद आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" के जरिये अनुवादक की सहायता से किया गया है ।
अस्वीकरण - यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा मे अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी आधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा एवं निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।